कार्यालय जिलाधिकारी, सम्भल।

पत्राँकः 629/2017/नाजिर–सदर–तेरह–दैवीआपदा–कम्बल–ई–टेण्डर(2017–18) दिनाँकः 09/12/2017

–: ई–निविदा :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आलोच्य वर्ष 2017–18 में शासनादेश संख्या–1651/1–10–2017–12(34)/03टी0 सी0–1 राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनाँकः 16 नवम्बर, 2017 से अत्यधिक ठण्ड एवम् शीतलहरी से प्रभावित गृहविहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु शासन द्वारा कम्बल क्रय किये जाने हेतु धनावंटन कर उपलब्ध कराया गया है।

तत्क्रम में उक्त प्रयोजनार्थ इस कार्यालय द्वारा लगभग 3,000(तीन हजार) कम्बल (जिनकी संख्या धनावंटन के सापेक्ष कम या ज्यादा भी हो सकती हैं) क्रय किये जाने हैं, निम्नानुसार कम्बल क्रय किये जाने हेतु दिनाँकः 10 दिसम्बर 2017 से दिनाँकः 16 दिसम्बर, 2017 को मध्यान्ह 12:00 बजे तक ऑनलाईन (**http://e-tender.up.nic.in**)के माध्यम से ई–निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। ई–निविदाएँ उसी दिन अपरान्त 04:00 बजे उपस्थित फर्मो/ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष क्रय समिति के समक्ष ऑनलाइन खोली जायेगी। निविदा अपलोड करने के पहले निविदादाता शर्तो का भलीभाँति अध्ययन कर लें। निविदा के सम्बन्ध में शर्तें निम्न प्रकार हैं :–

क्रम संख्य	कार्य का नाम	मात्रा	कम्बल की दर (कीमत)	कम्बल की निर्धारित गुणवत्ता			
				कम्बल का साईज (सेमी0		वजन किग्रा	ऊन की मात्रा % में
				लम्बाई	चौड़ाई		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कम्बल आपूर्ति	3,000(संख्या कम अथवा ज्यादा हो सकती हैं)	अधिकतम 500/–रू0 (पाँच सौ रू0 मात्र)	235 सेमी0	140 सेमी0	2.200 कि0 ग्रा0	70 %

शर्ते :–

1– निविदा के साथ कम्बल का नमूना सीलबन्द करके प्रस्तुत करना होगा।

2– कम्बल की कीमत 500/–रू0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3– आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 सेमी0, चौड़ाई कम से कम 140 सेमी0 तथा वजन कम से कम 2.200 किग्रा0 तथा कम्बलों में कम से कम 70 % ऊन की मात्रा होनी चाहिए। पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

4– आपूर्तित संस्था/फर्म को इस आशय का टैग लगाना होगा, जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई–चौड़ाई एवम् बजन विवरण के साथ यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किये जा रहे हैं जो विक्री योग्य नहीं हैं।

5– प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवम् मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 8/2016/548/18–2–2016–12(एस0पी0)/2010, दिनाँकः 12–08–2016 जो कि सरकारी विभागों एवम् शासकीय नियन्त्रण अधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वायत्तशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे क्रेता एजेंसी कहा गया है) द्वारा उ0 प्र0 हथकरघा निगम लि0 यूपिका, उ0 प्र0 खादी एवम् ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवम् प्रमाणित संस्थाएँ श्री गाँधी आश्रम तथा उ0 प्र0 हस्तशिल्प विकास एवम् विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0 प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम में लघु एवम् कुटीर तथा हथकरघा इकाईयों द्वारा उत्पादित बस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के संबंध में है, में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का क्रय किया जायेगा।

6– उव प्र0 खादी बोर्ड की प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा क्रयादेश हेतु सीधे आवेदन नहीं किया जायेगा, अपितु उनके द्वारा यूपिका के पैटर्न पर बोर्ड के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी। उ0प्र0 खादी बोर्ड अपने अधीन प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं की कार्यक्षमता के अनुरूप तथा गुणवत्ता

7– कम्बलों की आपूर्ति जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर स्वीकृत संस्था/फर्म द्वारा निर्धारित समय के अर्न्तगत(आपूर्ति आदेश मिलने की तिथि के चार (04) दिवस के अन्दर करना अनिवार्य है, जिसका समस्त व्यय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

8– सेवा कर/जी0एस0टी0 का भार निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा।

9– भुगतान के समय नियमानुसार आयकर कटौती कर ली जायेगी।

10– सर्शत निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

11– किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार समिति को होगा।

12– वाणिज्यकर विभाग में(उ0 प्र0 राज्य के अन्तर्गत) वैद्य पॅजीकृत अनिवार्य है। **PAN** व **TAN** नम्बर की प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न की जाये।

13– किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र जनपद–सम्भल रहेगा।

उक्त के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, इसके लिए दिनॉकः 10 दिसम्बर, 2017 से 16 दिसम्बर, 2017 तक किसी भी कार्यालय दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के मध्य आकर सदर नजारत कलेक्ट्रेट अधिष्ठान सम्भल(स्थित बहजोई)से प्राप्त की जा सकती है।

(आर0 पी0 यादव)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
जनपद–सम्भल।

संख्या व दिनॉक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नॉकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव एवम् राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ।

2– जिलाधिकारी महोदय, सम्भल।

3– समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद–सम्भल को नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु।

4– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पॅचायत, जनपद–सम्भल।

5– सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सम्भल।

6– श्री गॉधी आश्रम सम्भल/चन्दौसी/गुन्नौर(द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार)

7– प्रबन्धक यूपिका शोरूम/प्रबन्धक यू0पी0हैण्डलूम, मुरादाबाद।

8– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सम्भल को 04 अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस आशय से कि दैनिक समाचार–पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान में उक्त पत्र का निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

9– प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट सम्भल को अनुपालनार्थ।

10– नाजिर सदर कलेक्ट्रेट–सम्भल को इस आशय से कि नजारत सदर कलेक्ट्रेट सम्भल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

4/08/12/17

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
जनपद–सम्भल।